उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 347 /रा०उ०शि०पं०/20
दिनांक 22-06-2016

संख्या– 465/सत्तर-4-2016-6(4)/2010

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2016

विषयः– डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2016-17 में देय अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम छः माह के व्यय हेतु श्री राज्यपाल, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए मानक मद-20 में रू0-3,50,00,000/- एवं मानक मद-31 में रू0 2,76,41,000/- कुल धनराशि रू0 6,26,41,000/- (रू0 छः करोड़ छब्बीस लाख इकतालीस हजार मात्र) धनराशि की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

3– उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों/पदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया ज़ाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075 /70-4-99/46(21)/99 दिनांकः 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लघंन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों/अध्यापकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जी0पी0एफ0 की धनराशि उनके वेतन से काटकर राज्य कोषागार में नियमित रूप से जमा करायी जाय और उसे अन्यत्र जमा नहीं किया जायेगा।

6– इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

7– इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांकः 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तद्नुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय का विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

कानलेख/पेंशन
22/06/16

8– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सुसंगत लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–46–डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान–20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) एवं 31– सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी–1–746/दस–2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या–465 (1)/70–4–2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल ऑनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग–4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– संबंधित कोषाधिकारी।
6– सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
7– अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव